न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 24/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

दीपक गुप्ता पुत्र श्री सत्यप्रकाश गुप्ता विक्रेता एवं मालिक फर्म सिंघल ऐजेन्सी एस.बी.के. स्कूल के पास भरतपुर। हॉल निवासी सर्राफा गली जामा मस्जिद भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :— 1. प्रार्थी (सायल)

2. गैरसायल के अधिवक्ता श्री राजेश गोयल

निर्णय

दिनांक : 19.01.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 09.05.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल मय वकील दिनांक 13.06.2018 को उपस्थिति हुआ। इस्तगासा की नकल गैरसायल के वकील को दिनांक 12.03.20 दी गई। नियत दिनांक 19.01.2021 को गैरसायल के वकील को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 05.10.2017 को दोपहर 01.45 बजे वक्त निरीक्षण टेम्पो संख्या आर.जे. 05

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

ए 7376 टाटा मैजिक में 50 टीन 15 कि0ग्रा0 प्रति आर0बी0 ब्राण्ड पॉमोलीन रिफाईण्ड आम जनता को विक्रय कर रहा था। जिसमें मिलावट एवं मिथयाछाप का शक होने पर नियमानुसार मौके पर 1.600 लीटर आर0बी0 ब्राण्ड पॉमोलीन रिफाईन्ड 100/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/944/एक्ट/2017/965 दिनांक 17.10.2017 द्वारा उक्त आर0बी0 ब्राण्ड पॉमोलीन रिफाईन्ड का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का आर0बी0 ब्राण्ड पॉमोलीन रिफाईन्ड का आम जनता को विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल के वकील ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी काफी समय से उक्त प्रोडेक्ट का विकय करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विकय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 05.10.2017 को गैरसायल के टेम्पों संख्या आर.जे. 05 जीए 7376 टाटा मैजिक में 50 टीन 15 कि0ग्रा0 प्रति आर0बी0 ब्राण्ड पॉमोलीन रिफाईण्ड विकय हेतु संग्रहित का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.10.2017 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के वकील के द्वारा काफी समय से आर0बी0 ब्राण्ड पॉमोलीन रिफाईन्ड का विकय करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विकय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

नियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)